

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

स्वीकृत संख्या :—04 / योबजट-53 / 2015 क्रमांक 20 पृष्ठा, दिनांक :— 26.06.2015

प्रेषक,

ए0के0 रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लै० एवं ह०),
पौ०— लोरण्डा।
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :—

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली “भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत भू–संरक्षण एवं रोपण, अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, तसर पोषक वृक्षों एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सात वर्षीय कार्य के लिए कुल 3896.166 लाख (अड़तीस करोड़ छियान्चे लाख सोलह हजार छः सौ) रुपये मात्र की स्थीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2075.441 लाख (बीस करोड़ पचहत्तर लाख चौवालौस हजार एक सौ) रुपये मात्र की व्यय की स्थीकृति के संबंध में।

प्रसंग :—

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक 30.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत “भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत कुल 3187.510 लाख (एकतीस करोड़ सतासी लाख एकावन हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध संसूचित है।

2. वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना अंतर्गत लाह/तसर पोषक वृक्षों का वृक्षारोपण तथा सीसल वृक्षारोपण के कार्य किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में रोपित पौधों का भी रख–रखाव किया जायेगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली “भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत भू–संरक्षण एवं रोपण, अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, तसर पोषक वृक्षों एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों

14/ 9/ 6 

दो राज्य का सात वर्षीय कार्य के लिए कुल 3896.163 लाख (तीन हजार करोड़ चौहाल) रुपये की लागत पर कार्यान्वयित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1 से 4) की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र० सं०	कार्य विवरणी	भौतिक लाभ (₹० में)	वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22	वित्तीय वर्ष 2015-16 (लाख में)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	भू-संरक्षण एवं बनरोपण	600	837.953	432.997	22.600	455.597
2	अवकृष्ट बनभूमि पर वृक्षारोपण	2000	2119.950	1163.378	46.341	1209.719
3	लाह/तसर पोषक वृक्षों का वृक्षारोपण	150	234.566	95.134	7.397	102.531
4	शीघ्र बढ़नेवाले पौधे का रोपण	450	703.697	385.402	22.192	307.594
कुल :-		3896.166	1976.911	98.530	2075.441	

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त स्वीकृति राशि का लघुशीर्ष/इकाईवार की मदवार विवरणी निम्नवत् है :—

योजना का नाम	मद	विपत्र कोड	बजटीय संबंध (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
मुख्य शीर्ष "2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01—वानिकी, लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप-शीर्ष 06—भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना"	0103—मजदूरी	19P240601796060103	2973.070	1976.911
	0323—आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796060323	214.440	98.530
कुल स्वीकृत राशि — (वीस करोड़ पचहत्तर लाख चौवालीस हजार एक सौ) रुपये			3187.510	2075.441

5. भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के संबंध में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक कार्य योजना तैयार कर दिनांक 20 जून 2015 तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिनके स्तर से उक्त कार्य योजना दिनांक 30 जून 2015 तक अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न वन प्रमण्डलों में उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए तत्संबंधी सूचना वन एवं पर्यावरण विभाग को भी उपलब्ध करायें जायेंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 से 4 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

7. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर

644

20/स्व.
26.06.2015

हेतु विद्या उत्तरांश लक्ष्य प्रदानकर्ता पर वन एवं पर्यावरण विभाग द्वे संसदीय दस्तावेज़ द्वारा
दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीफी स्वीकृति संकेत इन
पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
कार्यालय को समर्पित करेंगे। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्रावकलन पर प्रदत्त
तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय
विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं
पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके
मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत
अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनात्मक प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक
लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया
जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित
निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह
की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन
समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं
समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की
जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता
पूर्वक किया जायेगा।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत
दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक
16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय
समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

14. इस योजनात्मक वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371
दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया
जायेगा तथा योजनात्मक किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

20/स्ट्री
26.06.2015

संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र ते बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।

17. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्रावक्तव्य" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

18. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

19. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

20. वृक्षरोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

21. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जाएगा।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

23. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सताहकार की सहमति प्राप्त है।

20/स्वी०

26.06.2015

44 ✓ h D

विश्वासनभाजन,

अनुलग्नकः— यथोक्ता।

~~26/6~~
(ए०के० रस्तागी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-04 / यो०बजट-५३/२०१५ २०/~~मी~~ व०प० राँची, दिनांक :-२६.०६.२०१५

प्रतिलिपि— राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सूचना प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, राँची-सह-सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~26/6~~
(ए०के० रस्तागी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-04 / यो०बजट-५३/२०१५ २०/~~मी~~ व०प० राँची, दिनांक :-२६.०६.२०१५

प्रतिलिपि— सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~26/6~~
(ए०के० रस्तागी)
सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण की सात वर्षीय कार्य योजना का स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	नौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य (2015-16 से 2018-19)									
			वित्तीय वर्ष 2015-16			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल						कुल	
1	रौची वन प्रमण्डल, रौची	72366.170	3766.610	75932.780	25329.770	12197.450	11109.780	10461.450	2203.580	2423.970	139658.780	
2	खेंटी वन प्रमण्डल, खेंटी											
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा											
4	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला											
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा											
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर											
7	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला											
8	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
9	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा											
10	पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा											
11	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
12	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	600	432.997	22.600	455.597	151.979	73.185	66.659	62.769	13.221	14.544	837.933
13	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज											
14	गोडडा वन प्रमण्डल, गोडडा											
15	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़											
16	जामताडा वन प्रमण्डल, जामताडा											
17	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार											
18	साठवा०प्रमण्डल, रौची											
19	साठवा०प्रमण्डल, सिमडेगा											
20	साठवा०प्रमण्डल, लातेहार											
21	साठवा०प्रमण्डल, चाईबासा											
22	साठवा०प्रमण्डल, आदित्यपुर											
23	साठवा०प्रमण्डल, दुमका											
		600	432.997	22.600	455.597	151.979	73.185	66.659	62.769	13.221	14.544	837.933

20/५०
26.७.२०१५

(४०क० रस्ताएँ)
सरकार के विशेष समिति।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली मू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत अवकृष्ट वर्तों पर वृक्षारोपण सात वर्षीय कार्य योजना का स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम संख्या	कार्यालय / निकासी एवं व्यवस्था पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य (2015-16 से 2018-19)									
			वित्तीय वर्ष 2015-16			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल						कुल	
			58168.900	2317.050	60485.950	16398.120	8708.150	7986.080	7791.670	2203.580	2423.970	103997.520
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची											
2	खैटी वन प्रमण्डल, खैटी											
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा											
4	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला											
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा											
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर											
7	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला											
8	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
9	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा											
10	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा											
11	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
12	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	2000	1163.378	46.341	1209.719	327.962	174.163	159.722	155.833	44.072	48.479	2119.950
13	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज											
14	गोड़ा वन प्रमण्डल, गोड़ा											
15	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़											
16	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा											
17	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार											
18	साठवाप्रमण्डल, रीवी											
19	साठवाप्रमण्डल, सिमडेगा											
20	साठवाप्रमण्डल, लातेहार											
21	साठवाप्रमण्डल, चाईबासा											
22	साठवाप्रमण्डल, आदित्यपुर											
23	साठवाप्रमण्डल, दुमका											
		2000	1163.378	46.341	1209.719	327.962	174.163	159.722	155.833	44.072	48.479	2119.950

(एक० रस्तोगी) 6
सरकार के विशेष समिति।

20/सौ
26.06.2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत तसर वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम संख्या	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य (2015-16 से 2018-19)									
			वित्तीय वर्ष 2015-16			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल						कुल	
i	ii	iii	iv	v	vi	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	xiii
1	रौची वन प्रमण्डल, रौची		63422.560	4931.600	68354.160	37313.860	15592.610	15150.860	15338.170	2203.580	2423.970	156377.210
2	खेंटी वन प्रमण्डल, खेंटी											
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा											
4	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला											
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा											
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर											
7	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला											
8	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
9	कोलहान वन प्रमण्डल, चाईबासा											
10	पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा											
11	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
12	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	150	95.134	7.397	102.531	55.971	23.389	22.726	23.007	3.305	3.636	234.566
13	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज											
14	गोड़ा वन प्रमण्डल, गोड़ा											
15	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़											
16	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा											
17	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार											
18	साठवाठप्रमण्डल, रौची											
19	साठवाठप्रमण्डल, सिमडेगा											
20	साठवाठप्रमण्डल, लातेहार											
21	साठवाठप्रमण्डल, चाईबासा											
22	साठवाठप्रमण्डल, आदित्यपुर											
23	साठवाठप्रमण्डल, दुमका											
		150	95.134	7.397	102.531	55.971	23.389	22.726	23.007	3.305	3.636	234.566

२०१५/१६
०६.२०१५
सरकार के विशेष समिति।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम संख्या	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेएर)	वित्तीय लक्ष्य (2015-16 से 2018-19)									
			वित्तीय वर्ष 2015-16			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल						कुल	
			63422.560	4931.600	68354.160	37313.860	15592.610	15150.860	15338.170	2203.580	2423.970	156377.210
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1	रौंची वन प्रमण्डल, रौंची											
2	खैंटी वन प्रमण्डल, खैंटी											
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा											
4	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला											
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा											
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर											
7	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला											
8	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
9	कोत्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा											
10	पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा											
11	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा											
12	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	450	285.402	22.192	307.594	167.912	70.167	68.179	69.022	9.916	10.908	703.697
13	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज											
14	गोड़ा वन प्रमण्डल, गोड़ा											
15	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़											
16	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा											
17	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार											
18	साठवाठप्रमण्डल, रौंची											
19	साठवाठप्रमण्डल, सिमडेगा											
20	साठवाठप्रमण्डल, लातेहार											
21	साठवाठप्रमण्डल, चाईबासा											
22	साठवाठप्रमण्डल, आदित्यपुर											
23	साठवाठप्रमण्डल, दुमका											
		450	285.402	22.192	307.594	167.912	70.167	68.179	69.022	9.916	10.908	703.697

२०/४५
26-०६-२०१५
(एक० रस्तामी) ६
सरकार के विशेष समिति।